भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3871
दिनांक 02.04.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत वित्तीय सहायता

3871. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2016-17 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों को करने हेतु निधि आबंटित की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उक्त घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के कार्यान्वयन के लिए, प्रतिवर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) तैयार करते हैं और उसमें अपना लक्ष्य दर्शाते हैं। मंत्रालय, राज्य की वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) को अनुमोदित करता है। तथापि, महाराष्ट्र में 34 जिलों में एसबीएम (जी) कार्यान्वित किया जा रहा है।
(ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 में एसबीएम (जी) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को 528.94 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
(ग) और (घ) जी हाँ। वर्ष 2016-17 के दौरान महाराष्ट्र के 141 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एसबीएम (जी) के अंतर्गत घटक-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं। वर्ष 2016-17 में महाराष्ट्र राज्य को 528.94 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।